FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ...... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ...... मुकाम ......

सुरेन्द्रकुमार बनाम विशनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ अपील 251 (A) रेन्ट एक्ट नं. 279 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.8.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भाकर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 (A) रेन्ट एक्ट राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/9/19 को पेश हो।	
18/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त/ पीठासीन अधिकारी डिग्री कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/10/19 को पेश हो।	
14/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त/ पीठासीन अधिकारी डिग्री कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/10/19 को पेश हो।	
23/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जारिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/10/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:10:30 IST
Reason: SelfAttested

30/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी (ए.डी.) पुनः प्राप्त नहीं हुई है। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 08/01/2020 को पेश हो।

हुक्म
25/03/2020

08/01/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 24/02/2020 को पेश हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

24/02/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तहसीलदार बायतु के नाम स्मरण-पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 25/03/2020 को पेश हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:10:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/03/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/05/2020 को पेश हो।	
20/05/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/09/2020 को पेश हो।	
15/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
14/10/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट से सहमत है। लिहाजा प्रार्थी का मूल आवेदन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त फर्दनामा मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो [illegible]। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:10:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 279/2019 दिनांक :– 14.10.2020

प्रार्थी

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र तेजाराम
2. किरपाराम पुत्र तेजाराम
3. शंकरों पत्नी तेजाराम
4. लुणाराम पुत्र पनाराम

जाति जाट निवासी जोगासर कुंआ, छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. विशनाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
2. रूपाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी जोगासर कुंआ, छीतर का पार तहसील बायतु
3. नेनूदेवी पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तसहील पोकरण जिला जैसलमेर
4. तहसीलदार बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री खेताराम जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 590/97, 586/97 रकबा 09.11, 09.15 बीघा ग्राम जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 588/97 में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को साथ लेकर तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ... खेत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:10:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु

/97, 586/97 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 588/97 में से रास्ता चाहा है, न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बिन्दु C से D तक का रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 04 बिस्वा है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 588/97 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 04 बिस्वा का रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवशकता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 590/97, 586/97 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खसरा नम्बर 590/97, 586/97 तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 588/97 तक पहुंचने हेतु 04 बिस्वा का रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार बिन्दु C से D तक कायम किया जाता है।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 164074/- से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि [illegible] बिस्वा की राशि 65630

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:10:30 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]यक कलक्टर
(SDO) बायतु

...सील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 65630/– नियमानुसार विप्रार्थीगण को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:10:30 IST
Reason: SelfAttested